पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 962 वर्ष 2024

संबन्धित थाना कांड संख्या.–32 वर्ष–2021 थाना–चंडी जिला–नालंदा

= = = =

निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच में गंभीर त्रुटियां की हैं। (पैरा 18)

निचली अदालत ने उस डॉक्टर से पूछताछ नहीं की जिसने मृतका की चोटों की रिपोर्ट तैयार की थी। इसके अलावा, अदालत ने आरोपी से उन चोटों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा। (पैरा 19)

चूंकि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी (eye–witness) नहीं है, इसलिए घटना के बाद के हालात के बारे में गवाहों के बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, निचली अदालत में जांच अधिकारी (I.O.) के बयान की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि अदालत अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पहले दिए गए विरोधाभासी बयानों पर ध्यान देने में असफल रही। (पैरा 20)

निचली अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर मृत्यु के कारण के संबंध में कोई ठोस निष्कर्ष (finding) नहीं दिया। (पैरा 21)

निचली अदालत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आरोपी से उचित प्रश्न नहीं पूछे, जिससे अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सके। न्यायाधीश ने आरोपी से यह नहीं पूछा कि उसके चेहरे पर चोट कैसे आई और न ही यह पूछा कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, जबकि आरोपी घटना स्थल पर ही मौजूद था। (पैरा 22)

इन तथ्यों और अभियोजन पक्ष के साथ–साथ निचली अदालत द्वारा दिखाई गई गंभीर लापरवाही के कारण मृतका की मृत्यु से संबंधित सही घटनाक्रम सामने लाने में कई चूकें हुई हैं। मृतका की अस्वाभाविक मृत्यु उसकी शादी के 18–20 वर्ष बाद हुई, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। चिकित्सा अधिकारी और जांच अधिकारी (I.O.) मृतका के चेहरे और आरोपी के चेहरे पर पाई गई चोटों के बावजूद मृत्यु के कारण का पता लगाने में विफल रहे। इसके अलावा, डॉक्टरों जैसे आवश्यक गवाहों को निचली अदालत द्वारा गवाही देने के लिए तलब नहीं किया गया। (पैरा 28)

आरोपी के मुकदमे में गंभीर चूकें हुई हैं। इन चूकों के कारण अपीलकर्ता के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि वह यह जानने से वंचित रही कि उसकी बेटी की हत्या कैसे हुई। इस अन्याय की गंभीरता प्रत्यक्ष (ocular) और दस्तावेजी (documentary) साक्ष्यों से स्पष्ट है। (पैरा 34)

अपील को स्वीकृत किया जाता है और नए सिरे से मुकदमे (fresh trial) का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 35)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= = = =

बहन की चार साल की बेटी को अपने साथ रखती थी, लेकिन घटना स्थल पर वह बच्ची नहीं मिली। सूचक को संदेह था कि चंचल कुमारी की हत्या गला दबाकर करने में सुधीर प्रसाद, अंजू देवी और राजकुमारी देवी की संलिप्तता है, इसलिए उसने अपने प्राथमिकी (FIR) में इनके नाम दर्ज कराए।

4. सूचक (PW–5) के उपरोक्त लिखित बयान के आधार पर चंडी थाना कांड संख्या 32/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120 (बी) के तहत दर्ज किया गया। अनुसंधान के उपरांत अनुसंधान अधिकारी ने 10.04.2021 को आरोपी/प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी–। ने 17.06.2021 को इस मामले में संज्ञान लिया और इसके बाद मामला विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के गवाहों का विश्लेषणः

5. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई और विचारण के दौरान कई दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। आरोपी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने का बचाव प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची के साथ–साथ अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजों को सारणीबद्ध रूप में नीचे दिखाया जा रहा हैः.

अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूचीः

अभियोजन साक्षी –1	सर्वेश कुमार
अभियोजन साक्षी –2	सुमन कुमारी
अभियोजन साक्षी –3	महाजनी देवी
अभियोजन साक्षी –4	पंकज कुमार
अभियोजन साक्षी –5	लालती देवी
अभियोजन साक्षी –6	चंद्र उदय प्रकाश
अभियोजन साक्षी –7	संजीव कुमार

अभियोजन द्वारा प्रदर्शनियों की सूची

प्रदर्श – 1	प्राथमिकी (FIR)
प्रदर्श – 2	सूचक के हस्ताक्षर
प्रदर्श – 3	लिखित आवेदन में उल्लिखित धाराएं
प्रदर्श – 4	औपचारिक प्राथमिकी
प्रदर्श – 5	आरोप–पत्र
प्रदर्श – 7	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

6. अभियोजन साक्षी (PW)–1 *सर्वेश कुमार,* जो मृतका के भाई हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षण में बताया कि उसकी बहन और प्रतिवादी संख्या 2, सुधीर कुमार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। सुधीर कुमार का अपनी भाभी अंजू देवी के साथ अवैध संबंध था। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 अक्सर उनकी मृतका बहन के साथ मारपीट करता था और उनकी बहन ने इस संबंध में महिला थाना में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

7. अभियोजन साक्षी (PW)–2 *सुमन कुमारी* वह मकान मालिकिन हैं, जहां मृतका और आरोपी–प्रतिवादी चंडी में रहते थे। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही (hostile) गवाह घोषित करा दिया। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी (PW)–3 और अभियोजन साक्षी (PW)–4 ने बयान दिया कि उन्हें कथित घटना की कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें भी पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया।

8. अभियोजन साक्षी (PW)–5 *लालती देवी* वर्तमान मामले की सूचक हैं। वह मृत महिला चंचल कुमारी की माँ हैं। अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने कहा कि यह घटना 21.01.2021 को हुई थी। जब वह चंडी गांव में अपनी बेटी के घर पहुंची तो उसने उसे मृत पड़ा देखा और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या उसके पति सुधीर कुमार (प्रतिवादी संख्या 2), भाभी अंजू देवी, और अंजू देवी की मां राजकुमारी देवी @ रज्जो देवी ने मिलकर की। ये सभी उसकी बेटी के साथ नियमित रूप से दुर्व्यवहार करते थे। सूचक ने आगे बताया कि प्रतिवादी संख्या 2, सुधीर कुमार का अपनी भाभी अंजू देवी के साथ अवैध संबंध था, जिसका उसकी बेटी ने विरोध किया। इसी कारण सुधीर कुमार उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। PW–5 ने बयान दिया कि उनकी बेटी फोन पर उन्हें इस बारे में जानकारी देती थी। उन्होंने आगे बताया कि मृतका की अपनी कोई

संतान नहीं थी, लेकिन वह अपनी भतीजी सुहाना के साथ रहती थी। PW–5 ने यह भी कहा कि घटना के दिन सुहाना घर में मौजूद थी, लेकिन आरोपी–प्रतिवादी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया।

8.i अपने प्रति–परीक्षण के पैरा–7 में अभियोजन साक्षी (PW)–5 ने कहा कि उन्हें कथित घटना की तिथि और समय याद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हे अपनी बेटी की मृत्यु की जानकारी अरविंद प्रसाद से मिली जो उसके गाँव में रहता था। पैरा–9 में उन्होंने कहा कि अरविंद प्रसाद को तत्काल मामले में गवाह नहीं बनाया गया था। अरविंद प्रसाद को चंडी गाँव में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से चंचल कुमारी की मृत्यु की जानकारी मिली।

8.ii. अपने प्रति–परीक्षण के पैरा–10 में, उन्होंने कहा कि जब वह अपनी बेटी के घर पहुंची, तो पुलिस पहले से ही वहाँ थी और उसे नहीं पता था कि घटना के बारे में पुलिस को किसने सूचित किया। पुलिस को मौखिक रूप से जानकारी मिली थी। पैरा–12 में उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक खाली पन्ने पर उसके अंगूठे का निशान लिया और पैरा–17 में उन्होंने आगे कहा कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी मृत्यु कारित की गई थी।

9. अभियोजन साक्षी (PW)–6 *चंद्रउदय प्रकाश* वर्तमान मामले के अनुसंधान अधिकारी थे। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षण में बताया कि 21.01.2021 को वे चंडी थाना में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उसी दिन सूचक (PW–5) ने एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। इस लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि मृतका की पंचनमा रिपोर्ट श्यामसुंदरी देवी, उप निरीक्षक चंडी द्वारा तैयार की गई थी। अपने मुख्य परीक्षण के पैरा–5 में उन्होंने कहा कि उन्होंने सुधीर कुमार नाम के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो घटना स्थल पर मौजूद था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने घटना की तारीख को ही घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतका का शव उसके घर की दूसरी मंजिल पर एक बिस्तर पर मिला, जहाँ वह अपने पति और सास के साथ रहती थी। यह घर चंडी थाना से 500 मीटर पूर्व की दूरी पर स्थित था। वह घर सुरेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति का था। अपने मुख्य परीक्षण के पैरा–15 में उन्होंने कहा कि मृतका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट 07.02.2021 को कांड दैनिकी में दर्ज की गई थी। पैरा–17 में उन्होंने कहा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), हिल्सा ने कथित घटना को सत्य माना और पैरा–19 में उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक, नालंदा ने भी माना कि घटना सच थी।

9.i अपने प्रति–परीक्षण के पैरा–26 में उन्होंने कहा कि पुलिस को स्पष्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी। पैरा–27 में उन्होंने कहा कि उन्हें घटना स्थल पर हिंसा के कोई निशान नहीं मिले और जिस

बिस्तर पर शव मिला था, वह अव्यवस्थित स्थिति में नहीं था। पैरा–31 में उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्तमान मामले में किसी प्रत्यक्षदर्शी का बयान दर्ज नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मृतक और आरोपी के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया और उन्होंने ऐसा नहीं करने का कोई कारण भी दर्ज नहीं किया। पैरा–33 में उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने घटना के कारण के बारे में अनुसंधान नहीं किया। उन्होंने सूचक के इस आरोप का अनुसंधान नहीं किया कि आरोपी मृतका पर शारीरिक हमला करता था। पैरा–35 में उन्होंने आगे कहा कि मृतका अपनी भतीजी के साथ रहती थी लेकिन पुलिस ने भतीजी का बयान दर्ज नहीं किया और उसने ऐसा न करने के कारण भी दर्ज नहीं किया। पैरा–37 में उन्होंने कहा कि उन्होंने विसरा (*viscera*) रिपोर्ट जमा नहीं की और वे यह नहीं कह सकते कि मृत्यु का कारण क्या था।

10. अभियोजन साक्षी (PW) –7 *संजीव कुमार* वर्तमान मामले में चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उन्हें बिहारशरीफ के सदर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन उन्होंने डॉ. महेंद्र कुमार के साथ मिलकर चंचल कुमारी के शव की जांच की। जाँच में इस प्रकार का पता चलाः

बाह्य परीक्षण (External Examination):
मुंह और नाक से द्रवित रक्तस्राव (Liquefied bloody discharge)
दाहिनी निचली आंख की पलक के नीचे और बाईं आंख के बाहरी हिस्से पर चोट के निशान (Bruise marks)
सूक्ष्म परीक्षण (On Dissection):
***सिर** : खोपड़ी की हड्डी अक्षुण्ण (Intact)*
मस्तिष्क: रक्त से भरा हुआ (Congested)
***गला** : कोई असामान्यता नहीं (NAD)*
***वक्ष** : पसलियां पूरी तरह सुरक्षित*
फेफड़े सुरक्षित और रक्त से भरे (congested)
हृदय के दोनों कक्ष रक्त से भरे हुए ।
***पेट** : पेट में पचा हुआ भोजन पाया गया, अन्य आंतरिक अंग (Viscera) सुरक्षित और रक्त से भरे*
मूत्राशय (Urinary Bladder) खाली (Empty)।
गर्भाशय (Uterus) छोटा (Small)।

अंगों के नमूने (Viscera) सुरक्षित किए गए और रासायनिक रिपोर्ट FSL पटना से प्राप्त होने तक मृत्यु का कारण संबधित राय आरक्षित (Opinion reserved)।

मृत्यु का समय 06 से 36 घंटे के भीतर

यह रिपोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर आतिश कुमार द्वारा डॉ. महेंद्र कुमार और मेरे निर्देशानुसार टाइप की गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर डॉ. महेंद्र कुमार और मेरे हस्ताक्षर हैं।

10.i अपने प्रति–परीक्षण के पैरा–2 में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में स्पष्ट राय नहीं दी कि चंचल कुमारी की मृत्यु हत्या थी या आत्महत्या। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विसरा रिपोर्ट के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। पैरा–6 में उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम के दौरान निष्कर्षों की कोई टेप–रिकॉर्डिंग नहीं थी।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष–

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि सात गवाहों में से कोई भी कथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी–2, अभियोजन साक्षी –3 और अभियोजन साक्षी–4 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें कथित घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभियोजन साक्षी–1 सर्वेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में इस घटना का समर्थन किया, लेकिन जिरह में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटना को होते हुए नहीं देखा। अभियोजन साक्षी–2 सुमन कुमारी भी इस घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है, क्योंकि श्यामसुंदरी देवी उसके पास यह बताने आई थी कि चंचल कुमारी की मृत्यु हो गई है। इसी तरह, अभियोजन साक्षी–4 पंकज कुमार ने कहा कि उन्हें घटना के अगले दिन पता चला कि चंचल कुमारी की मौत हो गई है। अभियोजन साक्षी–5 लालती देवी, जो स्वयं इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, ने अपने शपथ बयान में इस घटना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर पहुंचने पर उसने देखा कि उनकी बेटी मृत पड़ी थी, लेकिन वह कथित घटना की चश्मदीद गवाह नहीं थी।

11.i उन्होंने कहा कि उन्होंने संदेह के आधार पर मामला दर्ज किया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर, अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप संदिग्ध प्रतीत होते हैं। पूरी अनुसंधान प्रक्रिया में किसी प्रत्यक्षदर्शी की गवाही नहीं कराई गई है। हत्या के कारण के बिन्दु पर कोई अनुसंधान या कारण नहीं लिखा गया। इस प्रकार, इस गवाह के साक्ष्य से भी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया।

11.ii. विद्वान विचरण न्यायालय ने आगे यह माना कि अभियोज्न साक्षी–7, जो चिकित्सा अधिकारी थे, ने भी इस बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं दी कि मृतका चंचल कुमारी की मौत हत्या थी या आत्महत्या। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इन सभी गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि मृतका की मृत्यु उसकी शादी के 19 साल बाद हुई थी और उसकी मृत्यु कैसे हुई, यह आज तक ज्ञात नहीं है। इन गवाहों के साक्ष्य घटना के स्थान, घटना के समय और घटना के कारण को साबित नहीं कर सके। इसलिए, उपलब्ध साक्ष्य से विद्वान विचरण न्यायालय ने मामले को सत्य पाया, लेकिन इस मामले में आरोपी व्यक्ति की संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत हुई, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह उचित और न्यायसंगत प्रतीत हुआ कि आरोपी को संदेह का लाभ दिया जा सके और उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जा सके।

<u>अपीलार्थी की ओर से अभिकथन:</u>

12. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह केवल अटकलों और अनुमानों पर आधारित है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों पर विचार करने और उनकी सराहना करने में विफल रहा जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों का समर्थन नहीं करते।

12.i अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मृतका का विसरा (Viscera) फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL के रूप में संदर्भित) भेजा गया था और एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट पर विचार किए बिना अपना फैसला सुनाया। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने उन प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों का सावधानीपूर्वक परीक्षण नहीं किया, जिन्होंने मृतका के घायल चेहरे और आरोपी–प्रतिवादी के चेहरे पर चोट के निशान देखे थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कुछ अनिवार्य गवाहों को पुलिस द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, और न ही विचारण न्यायालय ने उन्हें समन किया। डॉ. महेंद्र प्रसाद, जो मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे और जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, तथा डॉ. अनिल कुमार, जिन्होंने आरोपी/प्रतिवादी संख्या 2 की चोट जांच रिपोर्ट तैयार की थी, उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा समन नहीं किया गया।

12.ii. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि घटना के कोई प्रत्यक्षदर्शी (Eye–Witnesses) न होने की स्थिति में, ये गवाह मृतका की मृत्यु के कारण को स्पष्ट कर सकते थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि घटना 21.01.2021 को हुई थी और उसी दिन प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कांड दैनिकी के पैरा–3 के अनुसार, जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो मृतका का शव बिस्तर पर पड़ा मिला और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इसके अतिरिक्त, आरोपी–प्रतिवादी ने मृतका के शव को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने वास्तविक परिस्थितियों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए किसी भी गवाह की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की, जिससे मृतका की मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

12.iii. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने आरोपी से उसके चेहरे पर लगे घावों के संबंध में कोई सवाल नहीं पूछा। अभियोजन साक्षी–2 और अभियोजन साक्षी–3 मृतका के पड़ोसी थे और उन्होंने मृतका के शव के बगल में आरोपी–प्रतिवादी को देखा था। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को दिए गए अपने बयान में उन्होंने बताया कि आरोपी/प्रतिवादी के चेहरे पर निशान उंगली के नाखूनों के कारण खरोंच की तरह लग रहे थे। उन्होंने पुलिस के सामने यह भी बताया कि मृतका के चेहरे पर कई चोटें आई हैं।

12.iv. इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने अगला तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वर्तमान मामले के अनुसंधान अधिकारी, यानी PW–6 का ध्यान केस डायरी के पैरा–11, 23 और 24 की ओर नहीं दिलाया। इन पैरा में PW–2 और PW–3 के पूर्व बयान दर्ज थे, जिनमें उन्होंने घटना के तुरंत बाद घटनास्थल का विवरण दिया था। हालांकि, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अनुसंधान अधिकारी के बयान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने PW–2 और PW–3 द्वारा दिए गए पूर्व बयानों पर ध्यान नहीं दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को आरोपों से बरी करने वाला निर्णय विधि के गंभीर उल्लंघन से ग्रसित है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी के लिए न्याय की घोर विफलता हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक का समुचित प्रयोग नहीं किया और निर्णय यांत्रिक रूप से पारित किया गया, जो कि न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य है।

12.v. यह निवेदित किया गया कि मृत्यु अपीलकर्ता के घर के चार दीवारों के भीतर हुई थी और प्रतिवादी संख्या 2 ने यह दावा नहीं किया कि वह मृतका के साथ उस घर में निवास नहीं कर रहा था। ऐसे में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 109) लागू होगी।

प्रतिवादी एवं राज्य की ओर से अभिकथन:

13. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुसंधान अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मृतका की मृत्यु के कारण को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सके। कोई भी प्रत्यक्षदर्शी कथित घटना का गवाह नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो प्रतिवादी/अभियुक्त संख्या 2 को दोषी ठहराने की ओर इशारा करता हो। उन्होंने यह भी कहा कि विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सही ढंग से प्रतिवादी संख्या 2 को बरी कर दिया।

13.i राज्य के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए विद्वान विचारण न्यायालय में वापस भेजना न्याय के हित में नहीं होगा। इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी नं. 2 क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए यह विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं होगा।

मूल्यांकन

14. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है, वर्तमान अपील में आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील में लिए गए आधारों के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया। अभियुक्त–प्रतिवादी मृतका का पति है। सूचक की पुत्री चंचल कुमारी का विवाह प्रतिवादी संख्या 2 सुधीर कुमार के साथ हुआ था जिसके 18–20 वर्षों के पश्चात् उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मृतका और प्रतिवादी संख्या 2 सुधीर कुमार शादीशुदा थे।

15. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी –1 सर्वेश कुमार, जो कि मृतका के भाई हैं, तथा अभियोजन साक्षी –2 सुमन कुमारी, जो कि उस मकान की मालिक हैं जिसमें मृतका और अभियुक्त चंडी में रहते थे, को प्रस्तुत किया। अभियोजन साक्षी–2, 3 और 4 पक्षद्रोही हो गए गए क्योंकि उन्होंने कथित घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। PW–5 मृतका की मां और सूचक हैं, जिन्होंने प्राथमिकी (FIR) में अभियुक्त/प्रतिवादी का नाम दर्ज कराया। PW–6 इस मामले के अनुसंधान अधिकारी हैं, और PW–7 चिकित्सा अधिकारी हैं, जो उस चिकित्सा बोर्ड के सदस्य थे जिसने 21.01.2021 को मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने डॉ. महेंद्र कुमार के साथ पोस्टमॉर्टम किया और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों डॉक्टरों के हस्ताक्षर हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को **प्रदर्श–7** के रूप में चिह्नित किया गया है।

16. प्रदर्श–7, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दाहिनी आंख के निचले हिस्से और बाईं भौंह के किनारे पर नीले रंग का निशान थे। लेकिन PW–7, जो चिकित्सा अधिकारी थे, वे इन चोटों की व्याख्या करने में असफल रहे और इसके बजाय उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। यह भी देखा गया कि चूंकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण का पता नहीं लगाया जा सका है, इसलिए FSL रिपोर्ट प्राप्त होने तक विसरा को सुरक्षित रखा गया था।

17. दिनांक 29.12.2021 की FSL रिपोर्ट को परीक्षण के लिए प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि यह रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध थी। यह भी देखा गया कि विचारण न्यायालय ने डॉ. महेंद्र प्रसाद को तलब करने में विफलता दिखाई, जो कि मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे और उन्होंने मृतका का पोस्टमार्टम किया था। वे एक महत्वपूर्ण गवाह थे, जो मृतका की मृत्यु के कारणों पर कुछ जानकारी प्रदान कर सकते थे।

18. ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के परीक्षण में गंभीर त्रुटियाँ की हैं। अनुसंधान कर्ता ने अनुसंधान के दौरान पाया था कि अभियुक्त–प्रतिवादी के चेहरे पर चोटें थीं और इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चंडी द्वारा चोट की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में निम्नलिखित पर प्रकाश डाला गयाः

1. *खरोंच (Abrasion) – 1/2'' x 1/8'' उसके बाएँ गाल पर।*
2. *खरोंच (Abrasion) – 1/2'' x 1/8'' उसके बाएँ गाल पर।*
3. *खरोंच (Abrasion) – 1/4'' x 1/8'' उसके बाएँ गाल पर।*
4. *कटा हुआ घाव (Lacerated Wound) – 1/4" x 1/8" त्वचा तक गहरा, बाएँ हाथ की एक अंगुली पर।*

चोट का प्रकार – साधारण (Simple)

प्रयुक्त हथियार– कठोर एवं कुंद वस्तु

19. हालाँकि, विचारण न्यायालय ने इस चोट की रिपोर्ट को तैयार करने वाले डॉक्टर डॉ. अनिल कुमार का परीक्षण नहीं किया और न ही विचारण न्यायालय ने आरोपी से इन घावों के संबंध में कोई सवाल पूछा। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने चोट की रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर डॉ. अनिल कुमार की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए कोई प्रक्रिया या कदम नहीं उठाया। PW– 2 और PW–3 मृतका के पड़ोसी थे और उन्होंने आरोपी–प्रतिवादी को मृतका के शव के बगल में देखा था। पुलिस को दिए गए अपने बयान में उन्होंने बताया कि आरोपी/प्रतिवादी के चेहरे पर निशान उंगली के नाखूनों के कारण खरोंच की

तरह लग रहे थे। उन्होंने पुलिस के सामने यह भी बताया कि मृतका के चेहरे पर कई चोटें आई हैं। जबकि PW–2 और PW–3 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था, हम आश्चर्यचकित हैं कि अभियोजन/ विचारण न्यायालय ने PW–2 और PW–3 का ध्यान पुलिस के समक्ष दिए गए उनके पिछले बयानों की ओर नहीं खींचा जो कांड दैनिकी के पैरा 11, 23 और 24 में दर्ज किए गए थे और फिर कांड दैनिकी में लिखे गए लेखन का उपयोग अंमुसंधान कर्ता के माध्यम से इन गवाहों का खंडन करने के लिए नहीं किया जा सका, जहां उन्होंने कथित घटना के होने के ठीक बाद घटनास्थल का वर्णन किया था।

20. चूंकि वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, इसलिए घटना के तुरंत बाद की परिस्थितियों के बारे में इन गवाहों के बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए प्रासंगिक हैं। हालाँकि, जब हमने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अनुसंधान अधिकारी के बयान का अवलोकन किया, तो पाया कि विचारण न्यायालय ने PW–2 और PW–3 द्वारा दिए गए पहले के बयानों पर ध्यान नहीं दिया।

21. हम यह भी नोट करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पूछताछ किए जाने पर, PW– 7 ने अपनी जांच के पैरा–10 में कहा कि मृतका के मुंह और नाक से निकले तरल रक्तस्राव और चोट के निशान दम घुटने (asphyxia) के कारण हो सकते हैं और यह संभव है कि यह गला घोंटकर हत्या (smothering) का मामला हो। विचारण न्यायालय द्वारा पूछताछ के पैरा–11 में, PW– 7 ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर फेफड़ों और मस्तिष्क में रक्त से भरे हुए (congestion) नहीं पाया जाता। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतका के मस्तिष्क और फेफड़ों में रक्त से भरे हुए (congestion) मौजूद था। यह संभव था कि पीड़िता को किसी भी तरीके से सांस लेने या श्वास ग्रहण करने से रोका गया हो। चूंकि माननीय विचारण न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए गवाह से प्रश्न कर रही थी, हमें लगता है कि अदालत को मृतका की वास्तविक मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए PW–7 से सही प्रश्न पूछने में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण का निर्धारण नहीं किया गया था, लेकिन इसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि भी नहीं मिली। इसके अलावा, जो प्रश्न विचारण न्यायालय ने डॉक्टर से किए, उनसे यह संकेत मिला कि मामला हत्या का है। विचारण न्यायालय द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों में उल्लेखित मृत्यु के कारण के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया।

22. विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आरोपी–प्रतिवादी से सुसंगत प्रश्न नहीं पूछे, ताकि अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सके। विद्वान

विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त–प्रतिवादी से न तो यह पूछा कि उसके चेहरे पर चोटें कैसे आईं और न ही यह पूछा कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, जबकि वह घटना स्थल पर मौजूद था।

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 का उचित अनुपालन नहीं किया गया है और केवल Cr.P.C की धारा 313 का उल्लेख किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान न्यायालय को आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार प्रदान करता है ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रावधान के तहत, आरोपी को उसके विरुद्ध मौजूद आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जा सकता है, और न्यायालय को ऐसे स्पष्टीकरण को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। धारा 313 का प्रावधान न्यायालय और आरोपी के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। न्यायालय को आरोपी के बयान दर्ज करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे आरोपी के विरुद्ध मौजूद आपत्तिजनक परिस्थितियों और साक्ष्यों पर प्रकाश डाला जा सके और उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सके। यदि धारा 313 के तहत आरोपी को परीक्षण का अवसर दिया जाए, लेकिन उसे सही तरीके से नहीं किया जाए, तो इससे साक्ष्यों के अपूर्ण आकलन की संभावना हो सकती है।

24. ***इंद्र कुंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** मामले में जो ***2023 SCC OnLine SC 1364*** प्रकाशित है में माननीय न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच संवाद स्थापित करना है। यह प्रक्रिया न्यायालय को अंतिम निर्णय तक पहुँचने में सहायता करती है। हम देखते हैं कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मृत्यु के कारण को स्थापित करने में चूक हुई है। साथ ही, हम यह भी पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने धारा 313 के तहत अपने अधिकारों का उचित उपयोग नहीं किया और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकते थे कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त से प्रश्न पूछने में यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया।

25. ***इंद्रा कुंवर (उपर्युक्त)*** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रश्न तैयार करने के दौरान अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों को विकसित किया, जो इस प्रकार हैं:–

> *35. इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं, जो समय के साथ धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए बयानों की व्याख्या करते समय विकसित किए गए हैं।*

35.1. इस धारा का उद्देश्य, जो स्वयं धारा से स्पष्ट है, अभियुक्त को उन परिस्थितियों की स्वयं व्याख्या करने में सक्षम बनाना है जो उनके खिलाफ साक्ष्यों में प्रकट होती हैं।

35.2. इसका उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच संवाद स्थापित करना है। यह प्रक्रिया अभियुक्त को लाभ पहुंचाती है और न्यायालय को अंतिम निर्णय तक पहुंचने में सहायता करती है।

35.3. यह प्रक्रिया मात्र प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत "audi alterum partem" (दूसरी पक्ष को भी सुने) पर आधारित है।

35.4. इस धारा के अनुपालन से संबंधित शिकायतों पर विचार करते समय अंतिम परीक्षा यह होगी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला या नहीं।

35.5. इस बयान में, आरोपी अपनी संलिप्तता या किसी दोषसिद्ध करने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, या फिर घटनाओं का कोई वैकल्पिक विवरण या व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। आरोपी को किसी चूक या अपर्याप्त प्रश्नों के कारण पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना चाहिए।

35.6. चुप रहने के अधिकार या किसी प्रश्न का उत्तर जो गलत हो सकता है, उसे अकेले आरोपी के विरुद्ध निर्णय लेने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

35.7. यह बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है और न ही यह साक्ष्य के स्थान पर या उसके पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने के भार को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे केवल कम करता है। इन बयानों का उपयोग अभियोजन के मामले की सत्यता की जांच करने के लिए किया जाना चाहिए।

35.8.इस कथन को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। एक भाग को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।

35.9. चूंकि ऐसा कथन, जो शपथ पर नहीं दिया जाता है, इसलिए यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत साक्ष्य के रूप में योग्य नहीं होता।

हालांकि, यदि इस बयान से कोई आत्मदोषी तत्व प्रकट होता है, तो उसे अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

35.10. वे परिस्थितियाँ, जो आरोपी को धारा R के तहत बयान देते समय प्रस्तुत नहीं की गईं, विचार से बाहर रखी जाएंगी क्योंकि उसे उन्हें स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया।

35.11. न्यायालय अभियुक्त के सामने सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को प्रश्नों के रूप में रखने के लिए बाध्य है ताकि उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। प्रस्तुत किए गए बचाव को सावधानीपूर्वक जांचा और विचार किया जाना चाहिए।

35.12. इस धारा का पालन न करने से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है और निष्पक्ष विचार पर पहुंचने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

(विशेष जोर दिया गया)

26. ***नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 1 SCC 496***, के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक सभी प्रासंगिक प्रश्नों को अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा जाता है। तो क्या अपीलीय न्यायालय पुनः विचारण का निर्देश दे सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक रूप से प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त से पूछताछ के चरण से पुनः परीक्षण का निर्देश दे सकता है क्योंकि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता का पालन न करने से अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैः

"30.3 यदि अपीलीय न्यायालय इस मत पर पहुंचता है कि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में चूक हुई है, जिससे आरोपी को प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, तो अपीलीय न्यायालय पुनः विचारण (retrial) का निर्देश दे सकता है, जिससे आरोपी के बयान रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया उस बिंदु से पुनः शुरू की जाए जहां अनियमितता हुई थी। यानी धारा 313 के तहत अभियुक्त से पूछताछ के चरण से, पुनः सुनवाई का निर्देश दे सकता है और विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त और बचाव पक्ष के गवाह, यदि कोई हो, की नए सिरे से जांच करने और मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया जा सकता है।"

27. विचारण न्यायालय डॉक्टर अनिल कुमार को समन करने में विफल रहा, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चांदी में डॉक्टर थे, जिसमें आरोपी–प्रतिवादी के चेहरे पर चोटों को सूचीबद्ध किया गया था। PW–5 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु की जानकारी अरविंद प्रसाद से मिली थी। हालांकि, विचारण न्यायालय ने इस व्यक्ति को भी परीक्षण के लिए समन नहीं किया। ये गवाह वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण गवाह हैं, और उनका परीक्षण न किए जाने से अभियोजन पक्ष के प्रति घोर अन्याय हुआ है। विचारण न्यायालय ने डॉ. महेंद्र कुमार का परीक्षण न करके भी त्रुटि की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि वे मृतका की मृत्यु के कारणों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते थे। सूचक/अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि चंचल कुमारी की मृत्यु अभियुक्त–प्रत्यर्थी द्वारा उसके चेहरे को दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी, जिसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट द्वारा समर्थित किया गया है जिसमें कहा गया है कि मृतका की आंखों पर चोट के निशान थे और जख्म की जांच रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अभियुक्त– प्रतिवादी के चेहरे पर भी खरोच के निशान थे। यह दम घुटने से ठीक पहले मृतका द्वारा किए गए प्रतिरोध का संकेत देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श–7) में यह भी उल्लेख है कि मृतका के मस्तिष्क और फेफड़े रक्त से भरे (congested) थे, जो आगे भी दम घुटने *(asphyxia)* की पुष्टि करता है।

28. हमारे समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और अभियोजन पक्ष तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्शित गंभीर लापरवाही के प्रकाश में, हमें विश्वास है कि मृतका की मृत्यु की घटनाओं की सही श्रृंखला प्रस्तुत करने में अभियोजन पक्ष द्वारा कई चूकें हुई हैं। साथ ही, विचारण न्यायालय ने भी अंतिम निर्णय तक पहुँचने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। आरोपि–प्रतिवादी से विवाह के 18–20 वर्षों बाद मृतका की अप्राकृतिक मृत्यु की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। चिकित्सा अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी मृतका के चेहरे और आरोपित–प्रतिवादी के चेहरे पर पाए गए चोटों के मद्देनजर मृत्यु के कारण का निर्धारण करने में विफल रहे। इसके अलावा, कुछ महत्वपूर्ण गवाह, जैसे कि डॉ. महेंद्र प्रसाद और डॉ. अनिल कुमार, जिन्होंने आरोपि–प्रतिवादी की जाँच की थी, को विचारण न्यायालय द्वारा उनके बयान दर्ज करने के लिए समन नहीं किया गया।

29. हाल ही के निर्णय में, ***नसीब सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2022) 2 SCC 89*** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया: जो इस प्रकार हैः

> *इस न्यायालय द्वारा पुनर्विचारण (retrial) पर दिए गए निर्णयों से जो सिद्धांत उभरते हैं, उन्हें निम्नलिखित रूप में संकलित किया जा सकता है:*
>
> *(i) अपीलीय न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए केवल 'असाधारण' परिस्थितियों में ही पुनः विचारण का निर्देश दे सकता है।*

(ii) मात्र अनुसंतधन में हुई त्रुटियाँ पुनर्विचारण के आदेश के लिए पर्याप्त नहीं हैं। केवल तब ही पुनर्विचारण का निर्देश दिया जा सकता है, जब ये त्रुटियाँ इतनी गंभीर हों कि वे पक्षकारों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करें।

(iii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या 'लापरवाह' अन्वेषण/विचारण ने किसी पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर और साक्ष्यों के गहन अध्ययन के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए।

(iv) यह पर्याप्त नहीं है कि केवल अभियुक्त या अभियोजन पक्ष यह सतही तर्क दे कि न्यायिक त्रुटि हुई है और पुनर्विचारण (retrial) आवश्यक है। अपीलीय न्यायालय पर यह दायित्व है कि यदि वह पुनर्विचारण का निर्देश देता है, तो वह साक्ष्यों और अन्वेषण प्रक्रिया के संदर्भ में हुई न्यायिक त्रुटि की प्रकृति को स्पष्ट रूप से कारणयुक्त आदेश में प्रस्तुत करे।

(v) यदि किसी मामले में पुनर्विचारण (retrial) का आदेश दिया जाता है, तो पिछले विचारण की संपूर्ण साक्ष्य और अभिलेख को पूर्णतः निरस्त कर दिया जाता है। और

(vi) निम्नलिखित कुछ परिस्थितियाँ, जो संपूर्ण सूची नहीं हैं, उन उदाहरणों के रूप में दी जा सकती हैं, जहाँ न्यायिक की विफलता के आधार पर न्यायालय पुनर्विचारण का आदेश दे सकता है:

a) जब विचारण न्यायालय ने ऐसे मामले में कार्यवाही की हो, जहाँ उसे अधिकारिता प्राप्त नहीं था। b) जब विचारण किसी ऐसी अवैधानिकता या अनियमितता से प्रभावित हुआ हो, जो कार्यवाही की प्रकृति की गलत धारणा पर आधारित हो। c) जब अभियोजक को आरोप की प्रकृति से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो या वह असमर्थ रहा हो, जिसके परिणामस्वरूप विचारण एक दिखावा, छल या दिखावटी प्रक्रिया बन गया हो।

30. ***इशाक बनाम रोनाल्ड चेरीयन***, *(2018) 2 SCC 278* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया किः

"14. किसी दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, असाधारण परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय निजी पक्षकारों के अनुरोध पर भी दोषमुक्ति के आदेश को निरस्त कर सकता है, भले ही राज्य सरकार ने अपील दायर करना उपयुक्त न समझा हो।

परंतु यह उल्लेखनीय है कि इस अधिकारीता का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जब विचारण की प्रक्रिया में कोई स्पष्ट दोष हो, जिसने विचारण को वास्तविक रूप से प्रभावित किया हो या किसी पक्ष को प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया हो। वर्तमान मामले में... उच्च न्यायालय ने आगे यह अवलोकन किया कि जिस फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ने प्रदर्श–P8 तैयार किया था, उसकी जाँच की जानी चाहिए थी, और साक्ष्यों से उत्पन्न अन्य परिस्थितियों की भी विचारण न्यायालय द्वारा जाँच की जानी चाहिए थी। उच्च न्यायालय ने आगे यह अवलोकन किया कि, सामान्य आशय के मुद्दे को स्थापित करने के बावजूद, विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत आरोप निर्धारित न करने के कारण साक्ष्यों की समुचित दृष्टिकोण से समीक्षा नहीं की गई। उच्च न्यायालय के अनुसार, इससे विचारण पर वास्तविक रूप से प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण पुनर्विचारण आवश्यक हो गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386(a) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा–निर्देशों के साथ पुनर्विचारण (retrial) का निर्देश देने में किया गया विवेकाधिकार त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जिससे उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो।"

31. ***अजय कुमार घोषाल बनाम बिहार राज्य, (2017) 12 SCC 699*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि:

"यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386(b)(i) में 'पुनर्विचारण' (retrial) शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस प्रावधान के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहाँ अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी चूक या अनियमितता के कारण न्याय की विफलता हुई है। पुनर्विचारण (retrial) के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जहाँ या तो विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया हो, जिसे अधिकारीता प्राप्त नहीं था, या फिर विचारण किसी गंभीर अवैधानिकता या अनियमितता से प्रभावित हुआ हो, जो कार्यवाही की प्रकृति की गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई हो। पुनर्विचारण का आदेश उन मामलों में दिया जा सकता है, जहाँ मूल विचारण किसी विशेष कारण से असंतोषजनक रहा हो, जैसे कि साक्ष्यों को गलत तरीके से

स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, या न्यायालय ने उन गवाहों की गवाही सुनने से इनकार कर दिया हो, जिनकी जाँच आवश्यक थी।"

32. प्रारंभ में, यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 427(a) (जो पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386(a) थी, जिसे अब निरसित किया जा चुका है) का प्रावधान इस प्रकार है:"

"427. ऐसे अभिलेख का परीक्षण करने और यदि अपीलकर्ता या उसका अधिवक्ता (यदि वह उपस्थित होता है) तथा लोक अभियोजक (यदि वह उपस्थित होता है) और धारा 418 या धारा 419 के तहत अपील के मामले में अभियुक्त (यदि वह उपस्थित होता है) को सुनने के बाद, यदि अपीलीय न्यायालय यह पाता है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अपील को खारिज कर सकता है, या—

(a) यदि यह किसी दोषमुक्ति (acquittal) के आदेश के विरुद्ध अपील है, तो वह ऐसे आदेश को पलट सकता है और आगे की जाँच करने, अभियुक्त को पुनर्विचारित (retried) करने या उसे विचारण के लिए प्रतिबद्ध करने का निर्देश दे सकता है, या उसे दोषी ठहराकर विधि अनुसार दंडित कर सकता है।"

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 427(a) के तहत अपीलीय न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के प्रकाश में, अब हम वर्तमान मामले के गुण–दोष पर विचार करते हैं।

33. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण गवाहों की जाँच नहीं की, जो मृतका की मृत्यु की घटना के संबंध में निष्कर्ष तक पहुँचने में न्यायालय की सहायता कर सकते थे। हम यह उल्लेख करते हैं कि महत्वपूर्ण गवाहों को समन जारी न करने और न्यायालय द्वारा उनकी जाँच न किए जाने से अपीलकर्ता के इस अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा है कि वह अपनी पुत्री की अप्राकृतिक मृत्यु के सत्य तक पहुँच सके। मृतका और अभियुक्त–प्रतिवादी, दोनों के शरीर पर चोट के निशानों से संबंधित प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने इसे अनदेखा किया और मृत्यु के कारण का निर्धारण करने में भी विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय को अन्वेषण अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए था कि पुलिस के समक्ष PW–2, 3 और 4 द्वारा दिए गए बयानों से उसकी प्रति–परीक्षण के पैरा–27 में किंए गए इस कथन का ख डन होता है कि घटनास्थल पर किसी प्रकार की हिंसा के निशान नहीं थे। सम्पूर्ण विचारण एक यांत्रिक तरीके से संचालित किया गया, और विचारण न्यायाधीश ने गवाहों और अभियुक्त से सही प्रश्न पूछने के लिए अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया।

यद्यपि विचारण न्यायालय पर यह कर्तव्य नहीं है कि वह गवाहों से प्रश्न करे, लेकिन जब वह ऐसा करता है, तो उसे ऐसे उचित प्रश्न पूछने चाहिए जो सही घटनाक्रम को स्थापित करने में सहायक हों।

34. हम पाते हैं कि अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 2 के विचारण में गंभीर त्रुटियाँ हुई हैं। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के लिए न्याय की विफलता हुई है, क्योंकि वह यह जानने से वंचित रह गई कि उसकी पुत्री की हत्या कैसे हुई। अन्याय की गंभीरता प्रत्यक्षदर्शी और दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट होती है, जो यह इंगित करते हैं कि मृतका के चेहरे पर, दाएँ निचले पलकों के नीचे और बाएँ भौंह के पार्श्वीय भाग पर चोट के निशान थे। इसके अलावा, मृतका के चेहरे पर घर्षण की चोटें भी पाई गईं। अभियुक्त–प्रतिवादी को पुलिस और आसपास रहने वाले लोगों द्वारा मृत शरीर के पास पाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तीन महत्वपूर्ण गवाहों को समन नहीं किया गया, और अन्वेषण अधिकारी ने भी उन्हें अभिलेख पर नहीं लाया। विचारण न्यायालय द्वारा इस मामले में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग न करने की उदासीन और यांत्रिक प्रवृत्ति इसे विरले मामलों में से एक बनाती है, जिसे हमारे विचार में पुनर्विचारण हेतु वापस भेजा जाना चाहिए।

35. अतः, हमें 23.02.2024 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश–1, हिलसा (नालंदा) द्वारा सत्र विचारण संख्या 441/2021, जो चंडी थाना कांड संख्या 32/2021 से उत्पन्न हुआ, में अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित निर्णय एवं आदेश को निरस्त करने में कोई संकोच नहीं है तथा हम इस मामले में पुनः नवीन विचारण का निर्देश देते हैं। तदनुसार, प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश को निरस्त किया जाता है।

36. प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो अधीनस्थ विंचारण न्यायालय आवश्यक द डात्मक कदम उठाकर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, और नालंदा के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के आदेश का बिना किसी विलंब के निष्पादन करे। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति सुनिश्चित होने के बाद विचारण को शीघ्रता से संपन्न करे। यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर आत्मसमर्पण किया जाता है, तो माननीय विचारण न्यायालय की संतुष्टि अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या 2 को रिहा किया जाए।

37. निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए तथा विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेज दिया जाए।

(न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

(न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

ब्रजेश कुमार/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।